बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध पी0डी0एस0 दुकान के गोदाम को सील नहीं किये जाने, भंडार पंजी पर निरीक्षण तिथि को कोई टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने, भंडार पंजी को जब्त नहीं किये जाने तथा गोदाम सील नहीं करने के कारण अक्रामक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होने तथा इसका जिक्र दर्ज प्राथमिकी में नहीं किये जाने संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–51 दिनांक–12.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2072 दिनांक–04.05.2022 द्वारा श्री कमालुद्दीन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 में वर्णित प्रावधान के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कमालुद्दीन द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत श्री कमालुद्दीन की 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त के क्रम में श्री कमालुद्दीन द्वारा उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील के सुनवाई के क्रम में माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–20.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री कमालुद्दीन के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 को निरस्त (set aside) करते हुए अभिलेख पुनर्विचार हेतु विभाग को Remand कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2729 दिनांक–09.10.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कमालुद्दीन से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी। श्री कमालुद्दीन द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच नये सिरे से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।

4. श्री कमालुद्दीन को यह निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सिवान)–01/2022 – 505 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, सिवान एवं नवादा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को निदेश दिया जाता है कि संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रस्तुत मामले में सुनवाई के निमित अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।